# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

## बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

**प्रकरण संख्या :– 01/2022/अपील/बउनवान/रमेश वगै0 बनाम कमलाबाई वगै0**
**जीसीएमएस संख्या 2022/59**

1. रमेश पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तह0. मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. जगदीश पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. कमलाबाई पुत्री बलराम जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. कल्याणीबाई पत्नि छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. कैलाश पुत्र छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. शान्ति पुत्री छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. तोलाराम पुत्र छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. भैरूलाल दत्तक पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. भैरूलाल पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
8. रामचरण पुत्र छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
9. रामनिवास पुत्र छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
10. लाड़बाई पुत्री छोट्या जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
11. हजारीलाल पुत्र बलराम जाति गुर्जर निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
12. तहसीलदार साहब मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....रेस्पोडेन्ट

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम</u>**

**<u>अपील इन्तकाल नं. 614 दिनांक 29.01.1949</u>**

वकील अपीलान्ट : श्री मनोज कुमार आर्य

**दायरा दिनांकः 04.04.2022** **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

**–:: निर्णय ::–**

अपीलान्ट निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत कर निवेदन करते है:–

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अपीलान्ट का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

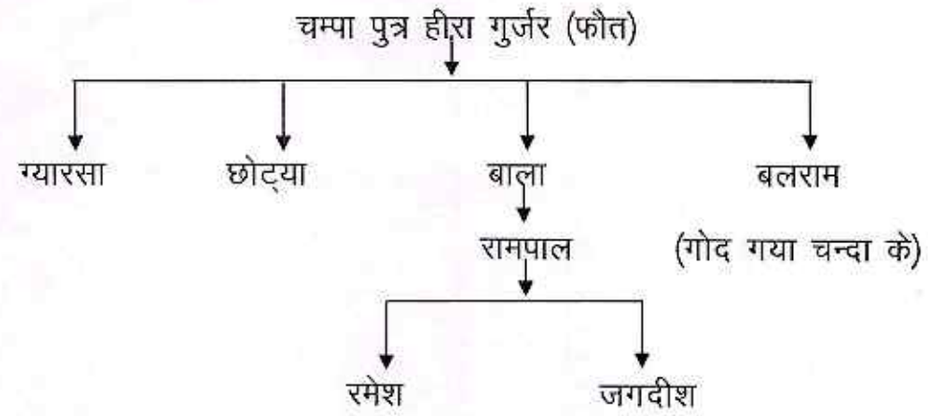


मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के उक्त सजरा अनुसार 4 संतोन थी। जिसमें बलराम चन्दा के गोद चला गया था तथा गयारसा , छोट्या, बाला में उक्त तीनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। जिसमें मृतक ग्यारसा, छोट्या के वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 11 हैं। चम्पा का पुत्र बलराम चन्दा के गोद जाने से उसके हिस्से की जमीन चम्पा के अन्य पुत्रान को ग्यारसा,छोट्या व बाला को प्राप्त होनी थी क्योंकि बलराम ने अपने पैतृक अधिकारों को समाप्त कर दत्तक पिता चन्दा की संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था और कानूनी रूप से गोद जाने पर अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में हिस्सा समाप्त होकर अन्य वारिसान को प्राप्त होता है। आराजी खाता संख्या 1 खसरा नं0 244 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 273 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 312 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम झाडवा तहसील मांगरोल सम्वत् 2002 – 2005 में मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के खाते दर्ज रही है। मृतक खातेदार चम्पा पुत्र हीरा की मृत्यु के बाद इन्तकाल नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा भारी भूल करते हुये मृतक के तीनों पुत्रों छोट्या,ग्यारसा, बाला के नाम इन्तकाल दर्ज नही कर मात्र 2 पुत्रों छोट्या व ग्यारसा के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है, जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट के दादा बाला का नाम इन्तकाल में दर्ज नही किया है जबकि बाला चम्पा पुत्र हीरा का कानूनी वारिस था। इसलिए इन्तकाल नंबर 614 निरस्तनीय है। उक्त वर्णित आराजी के सेटलमेंट बाद नवीन खसरा नंबर 280 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नंबर 283 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नंबर 294 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 295 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 394 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 395 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नंबर 420 रकबा 0.81 हैक्टर कायम किये है। जो जमाबंदी संवत 2075 – 2078 में दर्ज रिकॉर्ड है, जो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 11 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा वक्त नामांतरण दर्ज करते समय भारी भूल करते हुये मात्र 2 पुत्रों के नाम इन्तकाल में दर्ज किया है। जिसके अभाव में अपीलान्ट के अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए इन्तकाल नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 को निरस्त किया जाकर मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के वारिसान के नाम पुनः नामांतरण दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अपीलान्ट द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से अपने नाम खाते में दर्ज करने के निवेदन किये जा चुके है। लेकिन उनके नाम नामांतरण दर्ज नही किये जा रहे है। इसलिए अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य पारिवारिक समझौता भी हो रहा है तथा पारिवारिक समझौते अनुसार अपीलान्ट बाला पुत्र चम्पा के हिस्से की आराजी को काश्त करते आ रहे है। प्रस्तुत अपील का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत की जाकर निवेदन हैं कि इन्तकाल नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 निरस्त किया जाकर पुनः मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट की जरिये सम्मन तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 9 एवं 11 उपस्थित हुऐ। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 8 एवं 10 न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण पुनः रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 8 एंव 10 की जरिये रजिस्टर्ड एडी तलबी करवाई गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 3, क्रम 6, क्रम 7, क्रम 8 एवं क्रम 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट क्रम 3, 6, 7, 8 एवं 11 अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट क्रम 3, 6, 7, 8 एवं 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.09.2025 को अमल में लाई गई। वकील अपीलांट द्वारा मृतक कल्याणी बाई के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया। मृतक कल्याणी बाई के कायम मुकामान पूर्व से ही रिकॉर्ड पर हैं। रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4 , 5 , 9 , 10 को सुनवाई का अन्तिम अवसर देते हुऐ दिनांक 14.01.2026 को अखबार साया दैनिक पंजिका, राजस्थान दैनिक नवज्योति एवं राजस्थान भास्कर पत्रिका में प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से उपस्थित होने हेतु अखबार में सूचना प्रकाशित करवाई गई। सूचना प्रकाशित करवाने के बाद भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4 , 5 , 9 , 10 को सुनवाई पर्याप्त अवसर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 19.01.2026 को फर्द के साथ अखबार साया की प्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4 , 5 , 9 , 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 19.01.2026 रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4 , 5 , 9 , 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलांट एकतरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकीन अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहाराया गया। वकील अपीलांट का कथन हैं कि मृतक खातेदार चम्पा पुत्र हीरा की मृत्यु के बाद इन्तकाल नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा भारी भूल करते हुये मृतक चम्पा पुत्र हीरा के तीनों पुत्रों छोट्या,ग्यारसा, बाला के नाम इन्तकाल दर्ज नही कर मात्र 2 पुत्रों छोट्या व ग्यारसा के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है, जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट के दादा बाला का नाम इन्तकाल में दर्ज नही किया है जबकि बाला चम्पा पुत्र हीरा का कानूनी वारिस था। इसलिए इन्तकाल नंबर 614 निरस्तनीय है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों , रिकॉर्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल अपील के निर्णय से पूर्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना आवश्यक हैं धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के उक्त सजरा अनुसार 4 संतोन थी। जिसमें बलराम चन्दा के गोद चला गया था तथा गयारसा , छोट्या, बाला में उक्त तीनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। जिसमें मृतक ग्यारसा, छोट्या के वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 11 हैं। चम्पा का पुत्र बलराम चन्दा के गोद जाने से उसके हिस्से की जमीन चम्पा के अन्य पुत्रान को ग्यारसा,छोट्या व बाला को प्राप्त होनी थी क्योंकि बलराम ने अपने पैतृक अधिकारों को समाप्त कर दत्तक पिता चन्दा की संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था और कानूनी रूप से गोद जाने पर अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में हिस्सा समाप्त होकर अन्य वारिसान को प्राप्त होता है। आराजी खाता संख्या 1 खसरा नं0 244 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 273 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 312 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम झाडवा तहसील मांगरोल सम्वत् 2002 – 2005 में मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के खाते दर्ज रही है। मृतक खातेदार चम्पा पुत्र हीरा की मृत्यु के बाद इन्तकाल नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा भारी भूल करते हुये मृतक के तीनों पुत्रों छोट्या,ग्यारसा, बाला के नाम इन्तकाल दर्ज नही कर मात्र 2 पुत्रों छोट्या व ग्यारसा के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है, जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट के दादा बाला का नाम इन्तकाल में दर्ज नही किया है जबकि बाला चम्पा पुत्र हीरा का कानूनी वारिस था। इसलिए इन्तकाल नंबर 614 निरस्तनीय है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा वक्त नामांतरण दर्ज करते समय भारी भूल करते हुये मात्र 2 पुत्रों के नाम इन्तकाल में दर्ज किया है। जिसके अभाव में अपीलान्ट के अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए इन्तकाल नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 को निरस्त किया जाकर मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के शेष वारिसान की नियमानुसार जांच कर,वारिसान की सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को नामांतरण आदेश रिमांड किया जाना न्यायोचित हैं।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

प्रस्तुत अपील एवं उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है नामांतरण नंबर 614 दिनांक 29.01.1949 वाके ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल खारिज किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि मृतक चम्पा पुत्र हीरा गुर्जर के वारिसान की जांच कर ,वारिसानों की सुनवाई कर विधिसंवत नामांतरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल